न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 359 सन 2018
अनवान :–

1. सुभाषचन्द पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. अमरसिह पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पुत्री अमरसिह जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. प्रबन्धक , मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11.09.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 301/267 की कुल 9.5500हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा यानी 3.183हैक तथा रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 119/112 की कुल 3.7940हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा यानी 1.264हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण विरास्तन सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उसके अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुइ है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का जन्म से हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा/राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नत्थुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति होना साबित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का जन्म से हक हिस्सा होता है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई /पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी भूमि में उसने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की आपसी सहमति एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर वादी का वाद काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों एवं वादी एव प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 301/267 की कुल 39 किता की 9.550हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा यानी 3.183हैक भूमि में से 2.224हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी खातेदार काश्तकार है तथा शेष 0.959हैक भूमि व रोही मौजा 5 आरपीएम के खाता संख्या 119/112 के कुल किता 17 की 3.7940हैक मे से 1/3 हिस्सा यानी 1.264हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– पांच हजार रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official